



भारतीय सूचना सेवा (आईआईएस) 2025 बैच के 9 अधिकारी प्रशिक्षुओं का दल, जो वर्तमान में भारतीय जन संप्रेषण संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित संचार एवं मीडिया से संबंधित उनके इंडक्शन प्रशिक्षण के भाग के रूप में 'भारत दर्शन' अध्ययन यात्रा पर अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दौरे पर है, ने आज माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) से मेंट की।

द्वीपों के नामकरण—आम जनता से सुझाव आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर स्थानीय जनजातीय विरासत, स्वतंत्रता सेनानियों, विशिष्ट व्यक्तित्वों, शहीदों, विशिष्ट वनस्पति और जीव-जंतुओं, भौगोलिक विशेषताओं, राष्ट्रीय महत्व की ऐतिहासिक घटनाओं या किसी अन्य उपयुक्त विषय को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। सुझावों के साथ अधिकतम 200 शब्दों आरंभ की है। यह अभ्यास अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के 836 द्वीपों और में संक्षिप्त औचित्य संलग्न करते हुए, इस विज्ञापन के प्रकाशन की शिलाखंडों में से 596 को कवर करता है। कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त तिथि से 15 दिनों के भीतर, हस्तगत/ई-मेल द्वारा विज्ञप्ति में आम जनता, जनजातीय समुदायों के सदस्य, पूर्व सैनिक, विद्यार्थी, artand.culture@and.nic.in पर अथवा पंजीकृत डाक से निदेशक, शिक्षक, इतिहासकार, पर्यावरणविद आदि को इन द्वीपों/शिलाखंडों के नामकरण कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सेल्यूलर हेतु अपने मूल्यवान सुझाव भेजने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रस्तावित नाम जेल परिसर, अटलांट प्वाइंट-744101 को भेजे जा सकते हैं।

बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर 41 मेगावाट होने से नगरवासियों को मिली उल्लेखनीय राहत

उपभोक्ताओं से पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलार सिस्टम स्थापित करने का अनुरोध

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर विद्युत विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने आम जनता एवं सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया है कि श्री विजय पुरम में विद्युत कमी को दूर करने के लिए विभाग ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मार्गदर्शन में लगातार प्रयास करते हुए, पूर्व में दी गई जानकारी के अनुसार, ग्रिड में 5.5 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता स्थापित कर जोड़ दी है, जिससे संध्या पीक आवर्स के दौरान उपलब्ध क्षमता 38.5 मेगावाट हो गई है और उपभोक्ताओं को उल्लेखनीय राहत मिली है। इसी क्रम में चल रहे संवर्धन कार्यों के तहत, फीनिक्स बे पावर हाउस ने 23 नवम्बर, 2025 को 2.5 मेगावाट अतिरिक्त इन-हाउस क्षमता का सफलतापूर्वक कमीशनिंग कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिससे उपलब्ध क्षमता 38.5 मेगावाट से बढ़कर 41 मेगावाट हो गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, बम्बूफ्लाट पावर हाउस में 1 मेगावाट के निष्क्रिय डीजी सेट के पुनरुद्धार का कार्य प्रगति पर है, जिसे 10 दिसंबर, 2025 तक पूरा किए जाने की संभावना है। इसके कमीशन होने पर कुल उत्पादन उपलब्धता बढ़कर 42 मेगावाट हो जाएगी, जिससे वर्तमान बिजली कमी को दूर करने में और अधिक राहत मिलेगी। विद्युत विभाग वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए डीजी सेटों एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग सहित हर संभव प्रयास कर रहा है। विद्युत विभाग द्वारा जारी विज्ञप्ति में उपभोक्ताओं से विनम्र अनुरोध किया गया है कि वे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी-एमबीवाई) के तहत रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम स्थापित करें। यह पहल ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, उपभोक्ताओं को केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों की सब्सिडी प्राप्त करने का अवसर देती है तथा डीजल आधारित उत्पादन पर निर्भरता कम करने में सहायक है। आरटीएस



का व्यापक अपनाना डि-डीजलाइजेशन, ऊर्जा सततता तथा द्वीपों के हरितिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का विद्युत विभाग ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने, बिजली क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा द्वीपों के सभी निवासियों को विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराने के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराता है। विभाग सभी उपभोक्ताओं के निरंतर सहयोग एवं समर्थन के लिए कृतज्ञ है।

24वें राज्य विद्यालय खेलकूद एवं सीडब्ल्यूएसएन के लिए 9वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का रंगारंग समापन

राज्य विद्यालय खेलकूद में श्री विजय पुरम और सीडब्ल्यूएसएन प्रतियोगिता में विम्बर्लीगंज ने ओवरऑल चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीती

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर 24वें राज्य विद्यालय खेलकूद एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए 9वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज शाम यहाँ ऐतिहासिक नेताजी स्टेडियम में समापन हुआ। श्री विजय पुरम अंचल ने प्रभावशाली 25 स्वर्ण पदक जीतकर प्रतिष्ठित ओवरऑल चैम्पियनशिप ट्रॉफी अपने नाम की, जबकि कार निकोबार और रंगत अंचल क्रमशः द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे। सीडब्ल्यूएसएन श्रेणी में विम्बर्लीगंज अंचल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैम्पियनशिप जीती, जबकि श्री विजय पुरम और रंगत अंचल ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान



प्राप्त किया। खेलों के अंतिम दिवस के मुख्य अतिथि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा) श्रीमती चंचल यादव (आईएस) थीं। उन्होंने 4x100 मीटर रिले रेस (लड़के) तथा 100 मीटर स्प्रिंट (लड़कियाँ) प्रतियोगिताओं को देखा और विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। समा को संबोधित करते हुए, श्री विक्रम सिंह, निदेशक (शिक्षा/खेल), ने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों और अधिकारियों को उनकी समर्पण भावना और कड़ी मेहनत के लिए बधाई दी। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने और समावेशिता को मजबूत करने के प्रति



प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सभी अंचलों को भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। इस वर्ष की प्रतियोगिता में नौ अंचलों के छात्रों ने कड़ी प्रतिस्पर्धा और अनुकरणीय खेल भावना का प्रदर्शन किया। कई स्पर्धाएं आखिरी क्षण तक रोमांचक बनी रही, जहाँ युवा खिलाड़ियों ने असाधारण साहस, दृढ़ता और अनुशासन दिखाया। प्रतियोगिता में नए चैम्पियनों का उदय भी देखने को मिला, जो द्वीपों में खेल संस्कृति में सकारात्मक और प्रगतिशील बदलाव का संकेत है।

शेष पृष्ठ 4 पर

शुभकामनाएँ



'असम' राज्य की स्थापना दिवस के अवसर पर, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रह रहे असम के सभी निवासियों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। अद्भूत पहाड़ियों, जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं और उत्साही लोगों से समृद्ध असम अपने रंग-बिरंगे त्योहारों, समृद्ध विविधता और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह विरासत, एकता और सामूहिक गौरव का एक गौरवशाली प्रमाण है। आइए, हम सब मिलकर इस राज्य की समृद्ध विरासत और इसकी प्रगति का जश्न मनाएं तथा उन लोगों के अमूल्य योगदान को स्वीकार करें, जिनकी स्थायी भावना 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' का प्रतिनिधित्व करती है। मैं पुनः अण्डमान तथा निकोबार में रह रहे असम के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देता हूँ। यह अवसर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी के 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीनीकृत करने हेतु प्रेरित करे।

(एडमिरल डी.के. जोशी)
पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.)
उप राज्यपाल
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी

600 छात्रों की जागरुकता रैली के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर अण्डमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसायटी (एनेक्स) ने 1 दिसंबर को बड़े पैमाने पर जागरुकता रैली आयोजित कर विश्व एड्स दिवस 2025 मनाया। इस कार्यक्रम में स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का उद्देश्य एचआईवी और एड्स के प्रति जागरुकता बढ़ाना तथा कलंक और भेदभाव को दूर करने की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की सचिव (स्वास्थ्य) श्रीमती ऋचा ने भाग लिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम से रैली को झंडी प्लेकार्ड वितरित करने के साथ हुई। विद्यार्थियों ने मैदान पर 'रेड रिबन' और 'एचआईवी' का प्रतीकात्मक चित्र भी बनाया, जो दिखाकर रवाना किया। डॉ. सुजा एंटनी, स्वास्थ्य सेवा निदेशक विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम



डॉ. सुब्रत साहा, परियोजना निदेशक, एनेक्स के निर्देशन में आयोजित हुआ। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार 20 स्कूलों और 10 कॉलेजों के 600 से अधिक विद्यार्थियों ने नोडल शिक्षकों और संकाय सदस्यों के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दिन की शुरुआत पंजीकरण और टी-शर्ट, कैप एवं जागरुकता संदेश वाले प्लेकार्ड वितरित करने के साथ हुई। विद्यार्थियों ने मैदान पर 'रेड रिबन' और 'एचआईवी' का प्रतीकात्मक चित्र भी बनाया, जो एचआईवी और एड्स से प्रभावित लोगों के प्रति उनके समर्थन को दर्शाता है। समा को संबोधित करते हुए, सचिव (स्वास्थ्य) श्रीमती विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम

दक्षिण अण्डमान जिले के पांच बूथ स्तर के अधिकारी सम्मानित

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर भारत के निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 4 नवंबर, 2025 से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2025 की प्रक्रिया प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य सभी पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में व्यापक रूप से शामिल करना है। इस प्रक्रिया के तहत, बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का वितरण एवं संग्रहण कर रहे हैं, ताकि अधिकतम पात्र मतदाताओं का नामांकन सुनिश्चित किया जा सके और मतदाता सूची की शुद्धता बनी रहे। इस संदर्भ में श्रीमती किरण (भाग सं. 133), श्री मनीष कुजूर (भाग सं. 136), श्रीमती बीना दास रॉय (भाग सं. 137), श्री सुशांत शील (भाग सं. 141) तथा श्री अरिष भट्टाचार्य (भाग सं. 144) हैं। ये सभी श्री विजय पुरम तहसील, दक्षिण अण्डमान जिले के बूथ स्तर अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्राधिकार में 100 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का वितरण और संग्रहण सफलतापूर्वक पूरा किया है। उनके समर्पित प्रयासों, निष्ठा और समयबद्ध कार्य निष्पादन ने जमीनी स्तर पर पुनरीक्षण प्रक्रिया को सुचारु और प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी उत्कृष्ट सेवा के सम्मान में, श्री कमलेश्वर राव एस. (आईएसएस), सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईईआरओ), श्री विजय पुरम ने उनके सराहनीय प्रदर्शन की प्रशंसा की है और निर्वाचन पुनरीक्षण कार्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र जारी किया है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार जिला प्रशासन ऐसे प्रतिबद्ध फील्ड कर्मियों के प्रयासों को अंगीकार करता है और उनकी प्रशंसा करता है, जिनके अथक परिश्रम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है। ईईआरओ कार्यालय भविष्य में भी हमारे समर्पित बूथ स्तर अधिकारियों को ऐसे उत्कृष्ट प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता रहेगा।

अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

ई–निविदा सूचना	
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है, भले ही उनकी सूची इन शर्तों पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है : एन.आई.टी. सं. अनिडको/सीडब्ल्यू/25–26/टीडी–07	
कार्य का नाम	छोलदारी, श्री विजय पुरम में आईएमएफएल दुकान का संशोधन
अनुमानित लागत	₹. 6,31,318
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क	लागू नहीं
बयाना राशि	₹. 12, 626 /–
कार्य पूर्ण करने की अवधि	30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि	30/11/2025
निविदा दस्तावेज डाउनलोड आरंभ तिथि	01/12/2025 के पूर्वाहन 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि	04/12/2025 के पूर्वाहन 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	10/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	11/12/2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे
 निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocedure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा आईडी 2025_ANCVL_20808_1	
महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको	

ई–निविदा सूचना	
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है, भले ही उनकी सूची इन शर्तों पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है : एन.आई.टी. सं. अनिडको/सीडब्ल्यू/25–26/टीडी–08	
कार्य का नाम	डिलानीपुर, श्री विजय पुरम में आईएमएफएल दुकान का संशोधन
अनुमानित लागत	₹. 6,57,677
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क	लागू नहीं
बयाना राशि	₹. 13, 154 /–
कार्य पूर्ण करने की अवधि	30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि	01/12/2025
निविदा दस्तावेज डाउनलोड आरंभ तिथि	01/12/2025 के अपराहन 4.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि	04/12/2025 के पूर्वाहन 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	10/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	11/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे
 निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocedure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा आईडी 2025_ANCVL_20811_1	
महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको	

ई–निविदा सूचना	
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है, भले ही उनकी सूची इन शर्तों पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है : एन.आई.टी. सं. अनिडको/सीडब्ल्यू/25–26/टीडी–09	
कार्य का नाम	मोहनपुरा, श्री विजय पुरम में आईएमएफएल दुकान का आंतरिक संशोधन
अनुमानित लागत	₹. 5,05,318
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क	लागू नहीं
बयाना राशि	₹. 10, 106 /–
कार्य पूर्ण करने की अवधि	30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि	01/12/2025
निविदा दस्तावेज डाउनलोड आरंभ तिथि	01/12/2025 के अपराहन 4.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि	04/12/2025 के पूर्वाहन 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	11/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	12/12/2025 के पूर्वाहन 11.00 बजे
 निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocedure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा आईडी 2025_ANCVL_20812_1	
महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको	

ई–निविदा सूचना	
अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती है, भले ही उनकी सूची इन शर्तों पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार के संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है : एन.आई.टी. सं. अनिडको/सीडब्ल्यू/25–26/टीडी–10	
कार्य का नाम	मथुरा, फरारमंज में आईएमएफएल दुकान का आंतरिक संशोधन
अनुमानित लागत	₹. 5,29,613
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क	लागू नहीं
बयाना राशि	₹. 10, 592 /–
कार्य पूर्ण करने की अवधि	30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि	01/12/2025
निविदा दस्तावेज डाउनलोड आरंभ तिथि	01/12/2025 के अपराहन 4.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि	04/12/2025 के पूर्वाहन 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तथि	11/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	12/12/2025 के अपराहन 3.00 बजे
 निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocedure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं। निविदा आईडी 2025_ANCVL_20816_1	
महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको	

स्मार्ट फाइनेंस, स्मार्ट भविष्य: गिफ्ट सिटी

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। गिफ्ट सिटी, विश्व स्तरीय फाइनॅशियल और आईटी हब बनाने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है। इसे विजन और सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है, यह वैश्विक मानकों को सतत नवाचार के साथ मिलाता है। गुजरात इंटरनेशनल फाइनॅस टेक–सिटी (गिफ्ट सिटी) भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनॅशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) है, जो गांधीनगर, गुजरात में है। भारत की पहली ऑपरेशनल स्मार्ट सिटी के तौर पर, यह वित्तीय और प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए एक वैश्विक हब बनाने के देश के सपने को दिखाता है। मजबूत सरकारी मदद से, गिफ्ट सिटी को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को सतत शहरी विकास के साथ मिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय वित्त और निवेश में भारत की बढ़ती भूमिका का एक प्रतीक है। आज, इसमें वैश्विक बैंक, बीमा कंपनियां, एसेट मैनेजर और फिनटेक कंपनियां शामिल हैं, जो इसे सिंगापुर और दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय हब का उभरता हुआ प्रतिस्पर्धी बनाता है। शहर में एकीकृत विकास है जिसमें एक कर्माशियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, डेडिकेटेड रेजिडेंशियल जोन, मजबूत सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक वाइब्रेंट रिटेल और एंटरटेनमेंट हब शामिल है।

गिफ्ट सिटी भारत का पहला वैश्विक फाइनॅशियल हब बनाने के विजन से शुरू हुआ था। यह फाइनॅस और इंफ्रास्ट्रक्चर में वैश्विक मानकों के बराबर आने की देश की महत्वाकांक्षा को दिखाता है। सरकार गिफ्ट सिटी को इंटरनेशनल कैपिटल और इनोवेशन के लिए एक गेटवे के तौर पर देखती है। इसका लॉन्ग–टर्म मिशन 2047 तक भारत को एक लीडिंग ग्लोबल फाइनॅशियल सेंटर के तौर पर बनाना है, जिसके कोर में स्थायित्व और फिनटेक हो।

सेज अधिनियम, 2005 के तहत भारत के पहले इंटरनेशनल फाइनॅशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) के तौर पर बनाया गया। गुजरात के गांधीनगर में मौजूद, लगभग 1,000 एकड़ में फैला और अब 3,300 एकड़ तक बढ़ाया जा रहा यह शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है– डोमेस्टिक टैरिफ एरिया (डीटीए) और मल्टी–सर्विस स्पेशल इकोनॉमिक जोन (गिफ्ट एसईजेड)। गिफ्ट सिटी को खास तौर पर ऑनशोर और ऑफशोर फाइनॅशियल ऑपरेशन्स को सपोर्ट करने, वैश्विक निवेश को लाने, नवाचार को बढ़ावा देने और अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियां पैदा करने के लिए बनाया गया है, जो भारत के विजन 2047 में योगदान देगा।

ऑनशोर की मुख्य वित्तीय सेवाएँ अभी ऑफशोर सेंटर्स में रहने वाले और न रहने वाले दोनों लोग चलाते हैं।

भारत के विकसित भारत 2047 विजन की ओर वैश्विक पूंजी लाने के लिए एक मुख्य गेटवे के तौर पर काम करना।

भारत के कुशल कार्यबल के लिए अच्छी गुणवत्ता के रोजगार के मौके बनाना। फिनटेक और फाइनॅशियल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एक यूनिफाइड सैंडबॉक्स के जरिए नियामकीय नवाचार को बढ़ावा देना।

एक पारदर्शी और कुशल मार्केटप्लेस के जरिए सॉवरैन वेल्थ फंड, पेंशन फंड, हेज फंड और प्राइवेट इक्विटी सहित वैश्विक संस्थागत निवेशकों को आकर्षित करना।

भारत सरकार ने गिफ्ट सिटी को मल्टी–सर्विसेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन (गिट एसईजेड) के तौर पर नामित किया है और इसे आधिकारिक तौर पर देश का इंटरनेशनल फाइनॅशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) अधिसूचित किया है। इसका गवर्नॅस इंटरनेशनल फाइनॅशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी (आईएफएससीए) पर निर्भर करता है, जिसे मजबूत सरकारी निगरानी और नीतिगत समर्थन हासिल है। इसका संस्थागत ढांचा वैश्विक पूंजी को लुभाने, नवाचार को बढ़ावा देने और पारदर्शिता और स्थायित्व के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आईएफएससी यूनिट को मौजूदा विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशंस) के तहत अनिवासी माना जाता है।

इंटरनेशनल फाइनॅशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इसे आईएफएससीए अधि नियम, 2019 के तहत बनाया गया था और यह अप्रैल 2020 से लागू है। यह गिफ्ट आईएफएससी में वित्तीय उत्पादों, सेवाओं और संस्थानों के लिए एक एकीकृत नियामक के तौर पर काम करता है। यह आईएफएससी परिचालन के लिए पहले आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए के बीच बंटी हुई शक्तियों को एक साथ लाता है और इसका काम वित्तीय सेवाओं का विकास और विनियमन करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, और गिफ्ट सिटी को वैश्विक मानकों के साथ जोड़ना है।

इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) जुलाई 2022 में गिफ्ट आईएफएससी, गांधीनगर में लॉन्च किया गया था। ये एनएसई, इंडिया आईएनएक्स, एनएसडीएल, सीडीएसएल और एमसीएक्स जैसे बड़े संस्थानों द्वारा प्रवर्तित है और इसे आईएएससीए विनियमित करता है। यह भारत में बुलियन इंपोर्ट के लिए एक गेटवे देता है, साथ ही ट्रेडिंग, बुलियन फाइनॅशियल प्रोडक्ट्स में निवेश और वॉल्टिंग सुविधाओं के लिए एक विश्व स्तरीय इकोसिस्टम भी देता है। यह एक्सचेंज लड़ाई–झगड़े वाले और ज्यादा जोखिम वाले इलाकों से सम्प्लाई चेन की सत्यनिष्ठा के लिए ओईसीडी के दिशानिर्देशों का पालन करके जिम्मेदार और पारदर्शी बुलियन ट्रेड पक्का करता है।

गिफ्ट आईफएससी में बैंक, बीमा कंपनियां, एसेट प्रबंधक, फिनटेक फर्म और इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) शामिल हैं। सरकार, आईएफएससी और उद्योग के हिताधारकों के बीच नियमित परामर्श से चिंताओं को दूर करने और व्यावसायिक प्रगति को बढ़ाने में मदद मिलती है।

ग्लोबल इन–हाउस सेंटर (जीआईसी)रूआईएफएससी में एक ग्लोबल इन–हाउस सेंटर (जीआईसी) एक खास एंटीटी है जिसे एक वित्तीय सेवा समूह खास तौर पर वित्तीय उत्पादों से जुड़ी सेवाएं देने के लिए बनाता है, जो एक कानूनी ढांचे के तहत विदेशी मुद्रा में काम करता है। यह बैंक, एनबीएफसी, वित्तीय मध्यवर्ती (फाइनॅशियल इंटरमीडियरी), निवेश बैंक जैसे वित्तीय सेवा समूहों की जरूरतें पूरी कर सकता है। आईएफएससीए(ग्लोबल इन–हाउस सेंटर) विनियमन, 2020 को आईएफएससीएने गिफ्ट आईएफएससी में जीआईसीकी पहचान और ऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क देने के लिए अधिसूचित किया था। ये विनियमन गिफ्ट आईएफएससीमें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के परिचालन के लिए फ्रेमवर्क तय करते हैं।

गिफ्ट सिटी तेजी से एक वैश्विक फिनटेक हब के तौर पर उभर रहा है, जिसे एक खास नियामकी ढांचे और बड़ी टेक कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का समर्थन है। नवाचार केंद्र, सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट और शैक्षणिक भागीदारी के साथ, यह वित्तीय तकनीक में नए शोध, इनक्यूबेशन और एंटरप्राइज ग्रोथ को बढ़ावा देता है।

गिफ्ट आईएफएससी को दुनिया भर में प्रतिस्पर्धी फिनटेक हब बनाने के लिए 27 अप्रैल, 2022 के परिपत्र के जरिए पेश किया गया।

एंटीटी डायरेक्ट ऑथराइजेशन या फिनटेक सैंडबॉक्स के अंदर काम करती हैं, जिससे नवाचार और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है।

विप्रो, इंफोसिस, कॉग्निजेंट और हेक्सावेयर जैसी बड़ी कंपनियों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिनमें 2,500 पेशेवर काम कर रहे हैं।

सितंबर 2025 तक, गिफ्ट आईएफएससी में 20 फिनटेक/टेकफिन एंटीटी और 8 सैंडबॉक्स पार्टिसिपेंट हैं।

गुजरात सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक खास पहल, यह सेंटर प्रशिक्षण, इनक्यूबेशन, एक्सेलरेशन और शोध के जरिए फिनटेक में वैश्विक उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।

आईआईटी गांधीनगर, अहमदाबाद विश्वविद्यालय, यूसी सैन डिएगो और प्लग एंड प्ले।

प्रतिभा विकास, स्टार्टअप को समर्थन और वित्तीय प्रौद्योगिकी में सीमापार भागीदारी।

सिर्फ वित्तीय सेवा समूह को सेवा देता है, जिसमें एंटीटी को एफएटीएफ–अनुपालन ज्यूरिस्टिक्शन से संचालित करना जरूरी है।

वित्तीय उत्पादों से जुड़ी वित्तीय सेवाएं देने की तरफ समर्थन होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय कम्प्यूटर साक्षरता दिवस आज

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। आज समूची दुनिया के कार्य कम्प्यूटर पर किए जा रहे हैं। कोविड–19 के दौर में असंभव चीजें भी संभव हो पाईं, क्योंकि लोकल कंपनी से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के काम कम्प्यूटर की मदद से घर से किए गए। ये है कम्प्यूटर की ताकत। हर साल 2 दिसंबर को विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को कम्प्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में जागरूक करना और इस की मूल बातें सिखाना है। इस दिवस को मनाने का भी यही उद्देश्य है जिन्हें कम्प्यूटर के बारे में ज्ञान नहीं है, जो चलाना नहीं जानते हैं वे उन्हें इसके बारे में साक्षर करना, क्योंकि किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कम्प्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अन्यथा वह अच्छी नौकरी नहीं कर पाएगा।

विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस को मनाने की शुरुआत भारतीय कम्प्यूटर कंपनी राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ने साल 2001 में अपनी 20वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए की थी। बता दें कि पहला विश्व कम्प्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर 2001 को मनाया गया था और तभी से यह एक वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है, जो दुनिया भर में कम्प्यूटर के उपयोग को बढ़ावा देता है।

यह दिन डिजिटलीकरण के महत्व को बढ़ाने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में हर दिन पूरी दुनिया में 2 लाख कम्प्यूटर रोज बिकते हैं। ऐसा किसी को ज्ञात नहीं था कि कम्प्यूटर का युग इतनी तेजी आ जाएगा।

जब कोविड महामारी का समय आया, उस दौरान 99 प्रतिशत लोग घर से काम कर रहे थे। इस दौरान कई लोग हिल स्टेशन पर चले गए। वादियों के बीच रहकर अपना काम कर रहे थे। इस तरह कम्प्यूटर आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

वर्तमान में पूरी दुनिया कम्प्यूटर से अपना सभी कार्य कर रही है। फिर वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, कोई मीटिंग, क्लास हो सब कुछ। यह एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। कम्प्यूटर से आज के वक्त में काम करना बहुत आसान हो गया है।

जानिए अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस क्यों मनाया जाता है

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। पूरे विश्व से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है. पुराने समय से चली आ रही दास प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र ने हर साल 2 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाने की घोषणा की गई. मानव तस्करी और प्रॉस्टीट्यूशन को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेम्बली की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें 2 दिसंबर को दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाने का एलान हुआ.

अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस 2025 का विषय (थीम) “अतीत को स्वीकार करें। वर्तमान की मरम्मत करें। गरिमा और न्याय का भविष्य बनाएं” है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असेम्बली में 2 दिसंबर 1949 को एक संकल्प पारित हुआ, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस को अडॉप्ट किया गया. इसमें मुख्य उद्देश्य मानव तस्करी रोकना और वेश्यावृति को रोकना था. दोनों को दासता का प्रतीक मानते हुए रेजोल्यूशन 317 पारित किया गया. यूनाइटेड नेशंस के अनुसार अनुमानित 40.3 मिलियन लोग आधुनिक दासता के शिकार हैं. जिनमें श्रम में 24.9 और जबरन विवाह में 15.4 मिलियन लोग शामिल हैं. सबसे खास बात यह है कि आधुनिक गुलामी के शिकार हर 4 लोगों में से 1 बच्चा है.

बंधुआ मजदूरी की तरह जीवन बिताने वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस से जागरूकता लाना अहम है. बच्चों और अभिभावकों को इस बारे में बताकर इसे रोकने के उपाय किए जा सकते हैं. इसके अलावा काम के नाम पर यौन शोषण का शिकार होने वाली महिलाओं का शोषण रोकने के लिए भी इस दिन की अहमियत है. महिला वर्ग और बच्चों को साधारण जीवन देने के लिए अंतरराष्ट्रीय दास प्रथा के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन कर इसे रोकने का सतत प्रयास करना जरूरी है.

इस दिन बुद्धिजीवी अपने रिसर्च और डेटा को संगठितियों में प्रस्तुत करते हैं और लोग अपने–अपने तरीके से लेखन सामग्री के माध्यम से विचार प्रकट करते हैं. समय के साथ दास प्रथा को कैसे रोकना चाहिए, उस पर बातचीत और समीक्षा सत्र आयोजित किये जाते हैं. बहस और वाद–विवाद के अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए भाषण और स्पीच सेशन आयोजित होते हैं.

इतिहास के पन्नों में 02 दिसंबर: ब्रिटेन के राजा–रानी पहली बार पहुंचे भारत, याद में बना गेटवे ऑफ इंडिया

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई जाने वाले ज्यादातर लोग गेटवे ऑफ इंडिया देखने जरूर जाते हैं और इसकी स्थापत्य कला और भव्यता से प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसका इतिहास 02 दिसंबर, 1911 की तारीख से जुड़ा है। इसी तारीख को पहली बार ब्रिटेन के तत्कालीन राजा जार्ज पंचम और रानी मैरी का भारत आए थे। अंग्रेजों ने उन्हें धन्यवाद देने और उनकी यात्रा की स्मृति में समुद्री मार्ग के प्रवेश द्वार के तौर पर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कराया गया था। दक्षिण मुंबई में समुद्र तट के पास स्थित यह 26 मीटर ऊंचा द्वार है। यह प्रसिद्ध वास्तुशिल्पी जॉर्ज वेंसंट के नेतृत्व में 1924 में बनकर तैयार हुआ। समुद्र के रास्ते मुंबई आने पर सबसे पहले महानगर की जो इमारत दिखाई देती है वह गेटवे ऑफ इंडिया ही है। महत्वपूर्ण घटनाचक्र— 1804: नेपोलियन बोनापार्ट की फ्रांस के सम्राट के तौर पर ताजपोशी की गई।

1976 : फिदेल कास्त्रो क्यूबा के राष्ट्रपति बने।

1971 : अरब प्रायद्वीप के छह क्षेत्रों ने मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। फरवरी 1972 में इनमें एक सातवां देश भी शामिल हुआ।

1989 :विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के सातवें प्रधानमंत्री बने।

1999 : भारत में बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को मंजूरी मिली।

2003 : बोस्नियाई सर्व के पूर्व सैन्य कमांडर मोमिर निकोलिक को हेग स्थित संयुक्त राष्ट्र की युद्धापराध अदालत ने 1995 के नरसंहार के लिए दोषी ठहराया और 27 साल कैद की सजा सुनाई।

2006 : फिलीपीन में ज्वालामुखी का मलबा गिरने से 208 लोगों की मौत, 261 अन्य घायल।

2007: पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशरफ़ ने 8 जनवरी के प्रस्तावित चुनाव को देखते हुए देश में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों पर प्रतिबंध लगाया।



जिलाधीश का कार्यालय दक्षिण अण्डमान ज़िला
श्री विजय पुरम, दिनांक 28 नवम्बर, 2025
आदेश सं. 1865
 जहाँ, यह सूचना प्राप्त हुई है कि राष्ट्र–विरोधी तत्व दक्षिण अण्डमान ज़िले में अवैध गतिविधियाँ कर सकते हैं, जिससे जन एवं संपत्ति दोनों को खतरा उत्पन्न हो सकता है। और जहाँ, ये राष्ट्र–विरोधी तत्व इन अवैध गतिविधियों की तैयारी, निगरानी तथा वास्तविक क्रियान्वयन के दौरान होटलों, गेस्ट हाउसों, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे), लॉज आदि में ठहर सकते हैं। और जहाँ, यह आवश्यक है कि संपत्ति की रक्षा तथा जन–जीवन एवं सुरक्षा को होने वाले किसी भी प्रकार के खतरे को रोकने, आतंकवादी गतिविधियों को विफल/प्रतिबंधित करने और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में सार्वजनिक व्यवस्था एवं शांति बनाये रखने हेतु त्वरित उपाय किए जाएँ। अतः मैं, अर्जुन शर्मा, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान, भारत के “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023” की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दक्षिण अण्डमान ज़िले के अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के स्वामियों के लिए निम्नलिखित शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करने हेतु यह लिखित आदेश जारी करता/करती हूँ: 1. केवल वे होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे), लॉज आदि ही संचालित होंगे, जिनके पास वैध लाइसेंस उपलब्ध हैं। 2. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे स्थापित होंगे, जो व्यक्तियों के प्रवेश एवं निकास तथा परिसर के चुने हुए महत्वपूर्ण स्थानों को कवर करेंगे। प्रवेश एवं निकास पर स्थापित सभी कैमरे कार्यशील अवस्था में रहने चाहिए और उनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक संरक्षित रखी जाएगी। 3. ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे), लॉज आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों का पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में संधारित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के वैध पहचान प्रमाण की प्रति अभिलेख हेतु रखी जाएगी। 4. ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे), लॉज आदि यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म–सी (होटल में विदेशियों के आगमन की रिपोर्ट) से संबंधित विवरण निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाए। उक्त परिसर में ठहरने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के संबंध में सभी प्रक्रियाओं/दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। यह आदेश 2 दिसंबर, 2025 के शून्य घंटे से प्रभावी होगा तथा 60 दिनों की अवधि तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पूर्व में वापस न लिया जाए। ऐसे सभी होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट (होम स्टे), लॉज आदि, जो इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, वे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 208 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होंगे। चूँकि यह आदेश सभी संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाना संभव नहीं है, अतः यह आदेश एकतरफा (एक्स–पार्ट) पारित किया जाता है। इसे आम जनता की जानकारी हेतु प्रेस के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा तथा सभी पुलिस अधीक्षक, उप–पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार, पटवारी एवं सभी थानों के कार्यालयों के सूचना पट्टों पर चस्पाँ किया जाएगा। आज दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर के साथ जारी।
 जिलाधीश दक्षिण अण्डमान ज़िला
फ.सं. 2–25/2025–आर/टीएसडी/डीसी(एसए)

अब सीबीआई करेगी पूरे देश में डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए निर्देश

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।

देशभर में तेजी से बढ़ते डिजिटल अरेस्ट से जुड़े मामलों पर गंभीर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट स्कैम की जांच अब सीबीआई करेगी। यह जांच अन्य किसी स्कैम से अलग और प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी।

मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीआई को मामलों की विस्तृत जांच का निर्देश दिया। साथ ही एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत बैंकर्स की भूमिका की जांच करने की पूरी आजादी भी दी है, खासकर उन मामलों में जहां डिजिटल अरेस्ट स्कैम को अंजाम देने के लिए बैंक अकाउंट खोले गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट पर स्वतः संज्ञान लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को भी पक्षकार बनाया है। कोर्ट ने आरबीआई से पूछा कि देश में ऐसे बैंक खातों की पहचान कर अपराध की कमाई को फ्रीज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कम लागू की जाएगी? बेंच ने कहा कि यह तकनीक लाखों लोगों को ठगने वाले डिजिटल अरेस्ट गिरोहों पर रोक लगाने में अहम भूमिका निभा सकती है।

कोर्ट ने साफ कहा कि आईटी इंटरमीडियरी रूल्स 2021 के तहत सभी अथॉरिटीज सीबीआई को पूरा सहयोग देंगी। जिन राज्यों ने अभी तक सीबीआई को मंजूरी नहीं दी है, उन्हें भी आईटी एक्ट 2021 से जुड़े मामलों की जांच के लिए अनुमति देने का निर्देश दिया गया है ताकि सीबीआई पूरे देश में बड़े स्तर पर कार्रवाई कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई इंटरपोल की मदद भी ले सकती है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम में फर्जी या एक ही पहचान पर कई सिम कार्ड जारी करने

31 करोड़ असंगठित और 5 लाख गिग श्रमिक अब ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत: केंद्र सरकार

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर। केंद्र ने कहा है कि अब तक 31 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगार और पांच लाख से अधिक गिग कार्मिक तथा प्लेटफॉर्म कामगार ई–श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर–यूएई प्रदान करके उनका पंजीकरण करने के लिए ई–श्रम पोर्टल 2021 में शुरू किया गया था। श्रम और

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस आज: जानें इसका इतिहास और महत्व

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।

हर साल, भारत 2 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की याद में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाता है। यह दिन लोगों को प्रदूषण से जुड़े मुद्दों और यह हमारे दैनिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है।

प्रदूषण दुनिया भर में एक बड़ी समस्या है और भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार, वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु होती है। प्रदूषण किसी भी पदार्थ, जैसे ठोस, द्रव, गैस, या किसी भी प्रकार की ऊर्जा, जैसे ऊष्मा, ध्वनि, आदि का पर्यावरण में प्रवेश है। प्रदूषण के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं जैसे पटाखे फोड़ना, कार्बन उत्सर्जन, बम विस्फोट, गैस रिसाव आदि।

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रदूषित जल, भूमि और वायु के कारण खोई गई जिंदगियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, और यह भोपाल गैस त्रासदी जैसी औद्योगिक आपदाओं पर भी प्रकाश डालता है।

भोपाल गैस त्रासदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल

जिलाधीश का कार्यालय दक्षिण अण्डमान ज़िला
श्री विजय पुरम, दिनांक 28 नवम्बर, 2025
आदेश सं. 1864
 जहाँ, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि दक्षिण अण्डमान ज़िले के आवासीय/वाणिज्यिक क्षेत्रों में असामाजिक तत्व गुप्त रूप से अपने ठिकाने बना सकते हैं। यदि इसे रोकने हेतु उपयुक्त उपाय नहीं किए गए, तो ऐसे लोगों की अवैध गतिविधियाँ शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकती हैं तथा मानव जीवन एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं और सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा सकती हैं। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, इस मत का हूँ कि आवासीय/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मकान–मालिकों/स्वामियों/प्रबंधकों पर उपयुक्त निगरानी आवश्यक है, ताकि असामाजिक तत्व साधारण किरायेदारों, घरेलू नौकरों या पेइंग गेस्ट के रूप में छद्मवेश में रहते हुए नागरिकों को हानि न पहुंचा सकें, और ऐसे प्रकरणों की रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन प्रावधान के रूप में आदेशित करता हूँ कि कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी आवासीय/वाणिज्यिक आदि परिसर को किसी व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा/उपकिराए पर नहीं देगा/न किराए पर रहने देगा, जब तक वह संबंधित किरायेदार या पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। इसी प्रकार, कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी घरेलू नौकर/मददगार को तब तक नियुक्त नहीं करेगा, जब तक वह संबंधित नौकर/नौकरों का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। जिन व्यक्तियों का इरादा अपने परिसर को किराए पर देने या किसी घरेलू नौकर/मददगार को नियुक्त करने का है, वे किरायेदारों, पेइंग गेस्ट तथा नौकरों के पूर्ण विवरण को लिखित रूप में उस थाना प्रभारी को देंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 208 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य होगा। उपरोक्त के मद्देनज़र आदेश की आपात प्रकृति को देखते हुए इसे एकतरफा (एक्स पार्ट) जारी किया जा रहा है और यह सामान्य जनता को संबोधित है। यह आदेश 2 दिसंबर, 2025 के शून्य घंटे से प्रभावी होगा तथा साठ दिनों तक लागू रहेगा, और उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से घरेलू नौकर/मेड कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। यह आदेश, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, ज़िला न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर के सूचना पट्ट पर चस्पाँ किया जाएगा और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना एवं प्रचार विभाग के माध्यम से क्षेत्र में प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आज दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर के साथ जारी।
 जिलाधीश दक्षिण अण्डमान ज़िला
फ.सं. 2–25/2025–आर/टीएसडी/डीसी(एसए)

ज़िलाधीश का कार्यालय दक्षिण अण्डमान ज़िला
श्री विजय पुरम, दिनांक 28 नवम्बर, 2025
आदेश सं. 1864
 जहाँ, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि दक्षिण अण्डमान ज़िले के आवासीय/वाणिज्यिक क्षेत्रों में असामाजिक तत्व गुप्त रूप से अपने ठिकाने बना सकते हैं। यदि इसे रोकने हेतु उपयुक्त उपाय नहीं किए गए, तो ऐसे लोगों की अवैध गतिविधियाँ शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकती हैं तथा मानव जीवन एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं और सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा सकती हैं। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, इस मत का हूँ कि आवासीय/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मकान–मालिकों/स्वामियों/प्रबंधकों पर उपयुक्त निगरानी आवश्यक है, ताकि असामाजिक तत्व साधारण किरायेदारों, घरेलू नौकरों या पेइंग गेस्ट के रूप में छद्मवेश में रहते हुए नागरिकों को हानि न पहुंचा सकें, और ऐसे प्रकरणों की रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन प्रावधान के रूप में आदेशित करता हूँ कि कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी आवासीय/वाणिज्यिक आदि परिसर को किसी व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा/उपकिराए पर नहीं देगा/न किराए पर रहने देगा, जब तक वह संबंधित किरायेदार या पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। इसी प्रकार, कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी घरेलू नौकर/मददगार को तब तक नियुक्त नहीं करेगा, जब तक वह संबंधित नौकर/नौकरों का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। जिन व्यक्तियों का इरादा अपने परिसर को किराए पर देने या किसी घरेलू नौकर/मददगार को नियुक्त करने का है, वे किरायेदारों, पेइंग गेस्ट तथा नौकरों के पूर्ण विवरण को लिखित रूप में उस थाना प्रभारी को देंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 208 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य होगा। उपरोक्त के मद्देनज़र आदेश की आपात प्रकृति को देखते हुए इसे एकतरफा (एक्स पार्ट) जारी किया जा रहा है और यह सामान्य जनता को संबोधित है। यह आदेश 2 दिसंबर, 2025 के शून्य घंटे से प्रभावी होगा तथा साठ दिनों तक लागू रहेगा, और उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से घरेलू नौकर/मेड कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। यह आदेश, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, ज़िला न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर के सूचना पट्ट पर चस्पाँ किया जाएगा और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना एवं प्रचार विभाग के माध्यम से क्षेत्र में प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आज दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर के साथ जारी।
 ज़िलाधीश दक्षिण अण्डमान ज़िला
फ.सं. 2–25/2025–आर/टीएसडी/डीसी (एसए)

इग्नू में जनवरी–2026 सत्र के लिए पुनः—पंजीकरण आरंभ

श्री विजय पुरम, 1 दिसंबर।

सभी पंजीकृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) शिक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि जनवरी, 2026 सत्र के लिए सभी ओडीएल और ऑनलाइन कार्यक्रमों का पुनः—पंजीकरण 1 दिसंबर, 2025 से प्रारंभ हो रहा है तथा पुनः—पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 जनवरी, 2026 है। जनवरी, 2025 वार्षिक सत्र तथा जुलाई, 2025 सेमेस्टर

भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 32 प्रतिशत और एड्स से होने वाली मौत में 69 प्रतिशत की कमी आई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 32 प्रतिशत और एड्स से होने वाली मौत में 69 प्रतिशत की कमी आई है। आज नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि बेहतर निदान, किफायती दवाओं और देश भर में बनें एआरटी केंद्रों के माध्यम से भारत की एचआईवी प्रतिक्रिया पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को “परीक्षण और उपचार” नीति के तहत आजीवन उपचार की सुविधा मिलती है, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई है। श्री नड्डा ने कहा कि एचआईवी स्थिति के बारे में जागरूकता 85 प्रतिशत और उपचार 88 प्रतिशत तक पहुंच गया है।

इस अवसर पर श्री नड्डा ने युवा जागरूकता, एचआईवी और सिफलिस के संक्रमण के उन्मूलन और सामाजिक दंश को समाप्त करने पर केंद्रित राष्ट्रीय मल्टीमीडिया अभियान श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर भारत

सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन: 25 राज्यों की क़रीब 300 से ज्यादा महिला उद्यमी व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है

नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।

केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि लखपति दीदी ने अपने कर्मठ प्रयासों से समृद्धि से अपनी भविष्य की दास्तान लिखी है। आज देश में दो करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब तीन करोड़ वीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। वो दिन दूर नहीं हर जब देश की सभी दीदी लखपति होंगी। श्री शिवराज सिंह यहां सुंदर नर्सरी में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टीवल 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथि के तोर पर उपस्थित रही। ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री चन्द्र शेखर पेम्मासानी और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।

सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर देशभर के 25 राज्यों की करीब 300 से ज्यादा लखपति दीदीयां (महिला उद्यमी) व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है। 09 दिसंबर तक चलने वाले सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मार्ग, निजामुद्दीन, हुमायूं के मकबरे के पास किया गया है। फूड फेस्टिवल दर्शकों के लिए पूर्वाह्न 11.30 से लेकर रात्रि 9.30 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है।

सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 25 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम

ज़िलाधीश का कार्यालय दक्षिण अण्डमान ज़िला
श्री विजय पुरम, दिनांक 28 नवम्बर, 2025
आदेश सं. 1864
 जहाँ, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि दक्षिण अण्डमान ज़िले के आवासीय/वाणिज्यिक क्षेत्रों में असामाजिक तत्व गुप्त रूप से अपने ठिकाने बना सकते हैं। यदि इसे रोकने हेतु उपयुक्त उपाय नहीं किए गए, तो ऐसे लोगों की अवैध गतिविधियाँ शांति और सार्वजनिक व्यवस्था भंग कर सकती हैं तथा मानव जीवन एवं सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकती हैं और सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचा सकती हैं। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, इस मत का हूँ कि आवासीय/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के मकान–मालिकों/स्वामियों/प्रबंधकों पर उपयुक्त निगरानी आवश्यक है, ताकि असामाजिक तत्व साधारण किरायेदारों, घरेलू नौकरों या पेइंग गेस्ट के रूप में छद्मवेश में रहते हुए नागरिकों को हानि न पहुंचा सकें, और ऐसे प्रकरणों की रोकथाम हेतु त्वरित कार्रवाई आवश्यक है। अतः, मैं, अर्जुन शर्मा, आईएएस, जिलाधीश, दक्षिण अण्डमान जिला, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपातकालीन प्रावधान के रूप में आदेशित करता हूँ कि कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी आवासीय/वाणिज्यिक आदि परिसर को किसी व्यक्ति को किराए पर नहीं देगा/उपकिराए पर नहीं देगा/न किराए पर रहने देगा, जब तक वह संबंधित किरायेदार या पेइंग गेस्ट का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। इसी प्रकार, कोई भी मकान–मालिक/स्वामी/प्रबंधक किसी भी घरेलू नौकर/मददगार को तब तक नियुक्त नहीं करेगा, जब तक वह संबंधित नौकर/नौकरों का पूरा विवरण स्थानीय थाना प्रभारी को उपलब्ध नहीं करा देता। जिन व्यक्तियों का इरादा अपने परिसर को किराए पर देने या किसी घरेलू नौकर/मददगार को नियुक्त करने का है, वे किरायेदारों, पेइंग गेस्ट तथा नौकरों के पूर्ण विवरण को लिखित रूप में उस थाना प्रभारी को देंगे, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह परिसर आता है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस)–2023 की धारा 208 के अंतर्गत कार्रवाई योग्य होगा। उपरोक्त के मद्देनज़र आदेश की आपात प्रकृति को देखते हुए इसे एकतरफा (एक्स पार्ट) जारी किया जा रहा है और यह सामान्य जनता को संबोधित है। यह आदेश 2 दिसंबर, 2025 के शून्य घंटे से प्रभावी होगा तथा साठ दिनों तक लागू रहेगा, और उन व्यक्तियों पर भी लागू होगा जिनके पास पहले से घरेलू नौकर/मेड कार्यरत हैं और जिन्होंने अभी तक पुलिस को इसकी सूचना नहीं दी है। यह आदेश, अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय, ज़िला न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर के सूचना पट्ट पर चस्पाँ किया जाएगा और अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के सूचना एवं प्रचार विभाग के माध्यम से क्षेत्र में प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। आज दिनांक 28 नवम्बर, 2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुहर के साथ जारी।
 ज़िलाधीश दक्षिण अण्डमान ज़िला
फ.सं. 2–25/2025–आर/टीएसडी/डीसी (एसए)

भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 32 प्रतिशत और एड्स से होने वाली मौत में 69 प्रतिशत की कमी आई: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

 नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।
 केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि भारत में एचआईवी संक्रमण के नए मामलों में 32 प्रतिशत और एड्स से होने वाली मौत में 69 प्रतिशत की कमी आई है। आज नई दिल्ली में विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में श्री नड्डा ने कहा कि बेहतर निदान, किफायती दवाओं और देश भर में बनें एआरटी केंद्रों के माध्यम से भारत की एचआईवी प्रतिक्रिया पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रत्येक संक्रमित व्यक्ति को “परीक्षण और उपचार” नीति के तहत आजीवन उपचार की सुविधा मिलती है, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई है। श्री नड्डा ने कहा कि एचआईवी स्थिति के बारे में जागरूकता 85 प्रतिशत और उपचार 88 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
 इस अवसर पर श्री नड्डा ने युवा जागरूकता, एचआईवी और सिफलिस के संक्रमण के उन्मूलन और सामाजिक दंश को समाप्त करने पर केंद्रित राष्ट्रीय मल्टीमीडिया अभियान श्रृंखला का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर भारत
सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन: 25 राज्यों की क़रीब 300 से ज्यादा महिला उद्यमी व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है

 नई दिल्ली, 01 दिसम्बर।
 केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को कहा कि लखपति दीदी ने अपने कर्मठ प्रयासों से समृद्धि से अपनी भविष्य की दास्तान लिखी है। आज देश में दो करोड़ लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब तीन करोड़ वीदियों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। वो दिन दूर नहीं हर जब देश की सभी दीदी लखपति होंगी। श्री शिवराज सिंह यहां सुंदर नर्सरी में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित सरस आजीविका फूड फेस्टीवल 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी विशिष्ट अतिथि के तोर पर उपस्थित रही। ग्रामीण विकास एवं संचार राज्यमंत्री चन्द्र शेखर पेम्मासानी और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
 सरस फूड फेस्टिवल में 62 स्टॉलों पर देशभर के 25 राज्यों की करीब 300 से ज्यादा लखपति दीदीयां (महिला उद्यमी) व स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं भाग ले रही है। 09 दिसंबर तक चलने वाले सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन नई दिल्ली में सुंदर नर्सरी, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स मार्ग, निजामुद्दीन, हुमायूं के मकबरे के पास किया गया है। फूड फेस्टिवल दर्शकों के लिए पूर्वाह्न 11.30 से लेकर रात्रि 9.30 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य न केवल देश की खाद्य संस्कृति से लोगों को परिचित कराना है बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित करना भी है।
 सरस फूड फेस्टिवल के तहत दिल्ली और समीपवर्ती राज्यों के लोग 25 राज्यों की संस्कृति और स्वाद के संगम